तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	वकील सायल उपस्थित। वकील सायल को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील सायल का कथन है कि भले ही मूलवाद प्रारम्भिक डिक्री किया जा चुका हो, किन्तु अभी बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। वकील सायल की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, सायल द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि गैरसायल विवादित आराजी का बंटवारा बंटवारा कराना नहीं चाहते है। और सायल को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है। सायल का मूलवाद बंटवारे का है, पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा या सायल को बेदखल करने का प्रयास किया हो। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया सायल को कोई भी क्षति सम्भावित नहीं है। सायल अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। सहायक कलक्टर मुख्यालय, धौलपुर (राज.)	